

आदेश की
क्रम
संख्या एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद सं० 53/09

(बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49(जी०) के अन्तर्गत)

विष्णुदेव ततमा, पिता-स्व० जगदेव ततमा,
सा०-विकास नगर मरंगा, थाना-मरंगा, जिला-पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

आ दे श

यह विविध अनुमति वाद बैंक के कर्ज भुगतान करने हेतु श्री अखिलेश कुमार दास, पिता-श्री कृष्ण बल्लभ दास, सा०-सुभाष नगर, थाना-के०हाट, जिला-पूर्णियाँ के साथ बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 अन्तर्गत विक्री करने की अनुमति हेतु दायर किया गया है।

आवेदक को भू०बन्दोवस्ती वाद सं० 13/88-89 के द्वारा भी 1.42 एकड़ जमीन प्राप्त है।

इस संबंध में विद्वान अंचल अधिकारी पूर्णियाँ पूर्व से प्रतिवेदन की माग की गई। विद्वान अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक 1446, दिनांक 06.07.2010 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि

आवेदक द्वारा धारित जमीन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-



मौजा	थाना नं०	खाता	खेसरा	रकवा	अभ्युक्ति
मरंगा	110	423	1333,1334	0.26	पिता के नाम
		423	1333,1334	0.12½	पत्नी के नाम
		423	1333,1334	0.12½	पत्नी के नाम
		1473	1439	0.04	स्वयं
		1676	1297	1.42	स्वयं

ब्रिकी की जाने वाली जमीन का विवरण:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
मरंगा	110	1676	1297	0.97 डि०

अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि ब्रिकी की जाने वाली जमीन के ब्रिकी के पश्चात् वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
<p>20/11/2010</p>	<p>विद्वान अंचल अधिकारी पूर्णियाँ पूर्व के प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन के आलोक में धारा 49(जी0) बी0टी0एक्ट के तहत आवेदक के अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करते हुए जमीन ब्रिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित ।</p> <p> समाहर्त्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्त्ता, पूर्णियाँ</p>

आदेश पर की
कार्रवाई के लिए
निष्पत्ती तारीख
साधित
1